न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 40 / 2019

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये श्री खेमाराम प्रवर्तन अधिकारी बालोतरा		श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मांगीलाल माली, मैसर्स होली–डे रेस्टोनेण्ट, बालोतरा शहर, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

आदेश

दिनांक : 09.09.2020

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 21.10.2019 को श्री खेमाराम प्रवर्तन अधिकारी बालोतरा ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान के परिसर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर फर्म मालिक अप्रार्थी श्री श्री राजेन्द्र कुमार उपस्थित मिला। उक्त प्रतिष्ठान में भोजन बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो निम्न घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग मे लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. स.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1. 2.	01212, 132233	एचपीसीएल, एचपीसीएल	23.5 किग्रा, 18.6 किग्रा	16.2 किग्रा, 15.7 किग्रा	7.3 किग्रा, 2.9 किग्रा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:42:31 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलु उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। उक्त गैस सिलेण्डर को मैसर्स मधुबन गैस

जिला कलक्टर
बाड़मेर

एजेन्सी, बालोतरा को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी का नोटिस तामील होने व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुना गया।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विभागीय पैरोकार को सुना। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी का नोटिस तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहना एवं जवाब/प्रतिरक्षण नहीं करना उसकी मौन स्वीकारोक्ति प्रकट करता हैं। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन मे पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:42:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. आदेश आज दिनांक 09.09.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:42:31 IST
Reason: SelfAttested